



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 453

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th June, 2017

S.O. 51 Dated 29th June, 2017--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, i.e. Departmental Notification S.O. 28 dated 20.06.2017 namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd day of June, 2017.
2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017,-
 - (a) in rule 1, in the heading, the word “, Extent” shall be omitted;
 - (b) in rule 10, in sub-rule (4), for the words “digitally signed”, the words “duly signed or verified through electronic verification code” shall be substituted;
 - (c) in rule 13, in sub-rule (4), for the word “signed”, the words “duly signed or verified through electronic verification code” shall be substituted;
 - (d) in rule 19, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words “the said rule”, the words, brackets and figures “sub-rule (2) of rule 8” shall be substituted;
 - (e) in rule 21, for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

- “(b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of the Act, or the rules made thereunder; or
(c) violates the provisions of section 171 of the Act or the rules made thereunder.”;
- (f) in rule 22, in sub-rule (3), the words, brackets and figure “sub-rule (1) of ” shall be omitted;
- (g) in rule 24,-
- (i) in sub-rule (1), the second proviso shall be omitted;
- (ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- “(3A) Where a certificate of registration has not been made available to the applicant on the common portal within a period of fifteen days from the date of the furnishing of information and particulars referred to in clause (c) of sub-rule (2) and no notice has been issued under sub-rule (3) within the said period, the registration shall be deemed to have been granted and the said certificate of registration, duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to the registered person on the common portal.”;
- (h) in rule 26, in sub-rule (3), for the words “specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)”, the words “or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf.” shall be substituted;
- (i) in Form GST CMP-04, in the table, for serial number 5 and the entries related thereto, the following shall be substituted, namely:-
- “5. Category of Registered Person
- (i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government
- (ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II
- (iii) Any other supplier eligible for composition levy.”;
- (j) in Form GST CMP-07, for the brackets, words and figures “[See rule 6(6)]”, the brackets, words and figures “[See rule 6(5)] shall be substituted;
- (k) in Form GST REG-12, for the words and figures “within 30 days”, the words and figures “within 90 days” shall be substituted;
- (l) in Form GST REG-25,-
- (i) for the words and letters, “Provisional ID”, the letters “GSTIN” shall be substituted;
- (ii) the words “Place” and “ State” shall be omitted.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand,

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner.

Note:- The principal rules were published in the Jharkhand Gazette of India, Extraordinary, Section 164, vide notification No. 399 dated the 20 June, 2017 published vide S.O. No. 28 dated 20 June, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना**29 जून, 2017**

एस० ओ० 51 दिनांक 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड माल और सेवा कर नियम, 2017 विभागीय अधिसूचना सं० एस० ओ० 28 तारीख 20 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. झारखंड माल और सेवा कर नियम, 2017 में--

(क) नियम 1 के शीर्षक में, “विस्तार” शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ख) नियम 10 के उपनियम (4) में, “डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित” शब्दों के स्थान पर, “सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) नियम 13 के उपनियम (4) में, “हस्ताक्षरित” शब्द के स्थान पर, शब्द “सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) नियम 19 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में, “उक्त नियम” शब्दों के स्थान पर, “नियम 8 का उपनियम (2)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ङ) नियम 21 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“(ख) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ; या

(ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ।”;

(च) नियम 22 के उपनियम (3) में, “के उपनियम (1)” शब्दों, कोष्ठको और अंक का लोप किया जाएगा ;

(छ) नियम 24 में,--

(i) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(3क) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है और उक्त अवधि के भीतर, उपनियम (3) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गयी है, वहां रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और सम्यक्त हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित रजिस्ट्रीकरण का उक्त प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।”;

(ज) नियम 26 के उप-नियम (3) में, “या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट” शब्दों के स्थान पर, “सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या हस्ताक्षर के किसी अन्य ढंग द्वारा सत्यापित ई-हस्ताक्षर या इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 की सारणी में, क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग

- (i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता
- (ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता
- (iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता”;

(ञ) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में, “[नियम 6(6) देखें]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “[नियम 6(5) देखें]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ट) प्ररूप जीएसटी आर.ई.जी.-12 में “30 दिनों के भीतर” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “90 दिन के भीतर” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) प्ररूप जीएसटी आरईजी-25 में,-

(i) “अनंतिम पहचान” शब्दों के स्थान पर, “जीएसटीआईएन” अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “स्थान” और “राज्य” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/07/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

टिप्पण—मूल नियम, अधिसूचना सं- 399 तारीख 20 जून, 2017 द्वारा झारखंड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० एस०ओ०- 28 तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।
